रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 1975/भाद्र 17, 1897
No. 351] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 1975/BHADRA 17, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 8th September, 1975

S.O. 484(E)/18AA/IDRA/75.—Whereas the Central Government is satisfied, from the documentary and other evidence in its possession, that the persons in charge of the industrial undertaking known as Messrs. Ancillary Industries (Forgings) Private Limited, Calcutta, have, by creation of incumbrances on the assets of the industrial undertaking and by diversion of funds, brought about a situation which is likely to affect the production of articles manufactured or produced in the industrial undertaking, and that immediate action is necessary to prevent such a situation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited (hereinafter referred to as "the authorised person") to take over the management of the whole of the said industrial undertaking subject to the following terms and conditions, namely :—

(i) The authorised person shall comply with all the directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) The authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette;

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier, if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F.2/29/75-CUC]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1975

का०आ० 484(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/75.—केन्द्रीय सरकार का अपने कब्जे में की दस्तवेजों या अन्य साक्ष्य से यह समाधान हो गया है कि मैसर्स एन्सीलरी इण्डस्ट्रीज (फोर्जिंग्स) प्रा० लि० कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम के भारसाधक व्यक्तियों ने औद्योगिक उपक्रम की आस्तियों के विल्लंगम सर्जित करके तथा निधियों का फेर बदल करके ऐसी स्थिति उत्पन्न की है जिससे औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित या उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और ऐसी स्थिति को रोकने के लिये तुरन्त कार्यवाई आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात "प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) को उक्त औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये निम्नलिखित निबन्धों और शर्तों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत करती है, अर्थात:—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति उन सभी निदेशों का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर जारी करे ।

(2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति पहले भी समाप्त कर सकेगी ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होते हुए पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त प्रभावी रहेगा ।

सं० फा० 2/29/75—सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975